

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों की संबद्धता के लिए जारी किया नया कैलेंडर

धर्मशाला, 27 सितम्बर
(ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल
शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2027-
28 के लिए निजी
शिक्षण संस्थानों
की संबद्धता,
अपग्रेडेशन और
नवीनीकरण का
नया कैलेंडर जारी



कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ.
राजेश शर्मा ने बताया कि इसके
लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
तक चलेगी, जबकि 30 नवम्बर
तक संस्थानों का भौतिक निरीक्षण
पूरा कर लिया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान यदि कोई
कमी पाई जाती है, तो संस्थानों को
उसे दूर करने के लिए 30 दिसम्बर
तक का समय दिया जाएगा। सभी
प्रक्रियाओं और आपत्तियों के
निस्तारण के उपरान्त संबद्धता पर
अंतिम निर्णय 31 जनवरी 2027
तक लिया जाएगा।

बोर्ड ने सभी निजी संस्थानों से
आग्रह किया है कि वे निर्धारित
समय-सीमा और नियमों के भीतर
ही अपनी ऑनलाइन आवेदन
प्रक्रिया पूरी करें।

निजी स्कूलों की संबद्धता के लिए नया कैलेंडर जारी

नगर संवाददाता — धर्मशाला

■ पहली से ऑनलाइन आवेदन
31 अक्टूबर अंतिम तिथि
30 नवंबर तक होगा निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की नई संबद्धता, अपग्रेडेशन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहली अक्टूबर से शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी। संबंधित संस्थानों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया

पूरी होने के बाद बोर्ड द्वारा 30 नवंबर तक संबंधित संस्थानों का निरीक्षण पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्था के दस्तावेजों अथवा अन्य आवश्यकताओं में कोई कमी पाई जाती है, तो इसकी सूचना 15 दिसंबर तक संबंधित संस्था को दी जाएगी। संस्थानों को निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय प्रदान किया जाएगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि संबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरा किया जाएगा।

निजी स्कूलों की संबद्धता का कैलेंडर जारी 30 नवंबर तक स्कूलों का निरीक्षण, कमियां सुधारने को मिलेगा एक महीना

धर्मशाला | प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की नई संबद्धता, अपग्रेडेशन और नवीनीकरण की प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे।

संस्थानों को निर्धारित अवधि में आवेदन करने के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। संबद्धता शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड संबंधित संस्थानों का निरीक्षण 30 नवंबर, 2026 तक पूरा किया जाएगा। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि संबद्धता की

कमी मिली तो 31 जनवरी तक लिया जाएगा फैसला

निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल के दस्तावेजों या अन्य आवश्यकताओं में कमी पाई जाती है तो बोर्ड इसकी जानकारी संबंधित संस्था को 15 दिसंबर तक देगा। संस्था को कमियों को दूर करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय मिलेगा। इसके बाद आपत्तियों और कमियों के निवारण की प्रक्रिया पूरी कर संबद्धता पर अंतिम निर्णय 31 जनवरी 2027 तक लिया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना संबद्धता के कक्षाएं संचालित करना या निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।

निजी स्कूलों की संबद्धता के लिए कैलेंडर जारी

जगरण संवाद केंद्र, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की नई संबद्धता, अपग्रेडेशन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया का नया कैलेंडर जारी किया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा के अनुसार, संबद्धता के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहली अक्टूबर से 31 तक चलेगी। संबंधित संस्थानों को निर्धारित अवधि में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान भी आनलाइन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद, बोर्ड 30 नवंबर तक संस्थानों का निरीक्षण करेगा।

Himachal Dastak 28-09-2026

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों की संबद्धता के लिए नया कैलेंडर किया जारी



धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की नई संबद्धता, उन्नयन एवं नवीनीकरण का कैलेंडर जारी किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। संस्थानों को निर्धारित शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदनों के बाद संस्थानों का निरीक्षण 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। कमियां पाए जाने पर 15 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों को सूचित किया जाएगा और उन्हें कमियां दूर करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय मिलेगा। संबद्धता पर अंतिम निर्णय 31 जनवरी, 2027 तक लिया जाएगा। डॉ. शर्मा ने निजी शिक्षण संस्थानों से निर्धारित समय में आवेदन करने और बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नियमों एवं शर्तों का अध्ययन करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना संबद्धता कक्षाएं संचालित करना अथवा नियमों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं होगी।

SEPTEMBER 28, 2026 MONDAY

HIMACHAL PRADESH

The Sunny Times

HIMACHAL EDUCATION BOARD SETS HARD DEADLINES FOR PRIVATE SCHOOLS

The Sunny Times | Dharamshala |



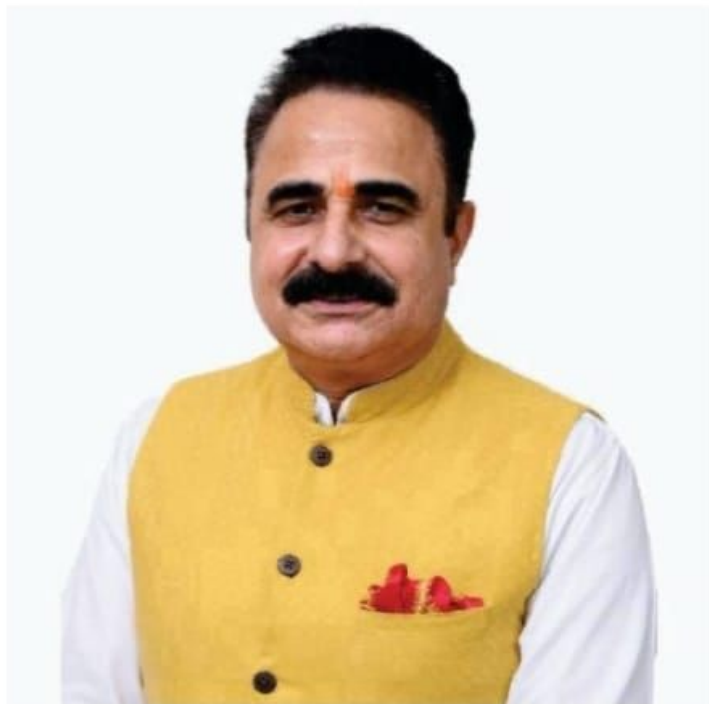
Private schools in Himachal Pradesh have zero room for corner cutting this year as the state education board rolls out a strict, ticking clock roadmap for the 2027 to 2028 academic session.

Announcing the new affiliation calendar, HP Board of School Education Chairman Dr. Rajesh Sharma delivered an unmistakable warning to private institutions: comply on time, or do not bother opening your doors. The entire procedure covering fresh affiliations, upgrades, and renewals moves entirely online starting October 1, 2026, with the digital shutters slamming down firmly on October 31. Institutes must upload every shred of required documentation and clear all fees online within this month long window, leaving no room for manual delays or backroom fixes.

Once submissions close, board inspectors hit the ground. Teams will scrutinize campuses and facilities through November 30 to see whether on paper claims survive real world checks. Any red flags, missing paperwork, or regulatory lapses uncovered during the sweep will be slapped on the institutions by December 15. From that point, schools have a razor thin window until December 30 to fix their shortcomings and prove they belong. The hammer falls on January 31, 2027, when the board issues its final verdict, sealing the fate of every applicant.

Sharma made it clear that operating unapproved classes or ignoring statutory norms is a dead end. With student welfare on the line, the board is ditching second chances, urging managements to scour the fine print on the official portal before hitting submit, because noncompliant schools will not get a pass to operate.

HP Board of School Education Releases New Calendar for Private School Affiliation; Online applications to begin on October 1: Dr. Rajesh Sharma



SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA, SEP 27 : The Himachal Pradesh Board of School Education has released a new calendar for the process of fresh affiliation, upgradation, and renewal of affiliation for private educational institutions for the 2027-28 academic session. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma stated that the online application process for affiliation will commence on October 1, 2026, and continue until October 31, 2026. Institutions must upload all necessary documents along with their online applications within the stipulated

period and pay the prescribed fees online. He informed that following the application process, the Board will complete inspections of the respective institutions by November 30, 2026. If any deficiencies regarding documents or other requirements are found during the inspection, the concerned institution will be notified by December 15, 2026. Institutions will be given until December 30, 2026, to rectify the identified deficiencies. Dr. Rajesh Sharma stated that the affiliation process would be conducted in a strictly time-bound and transparent manner, in accordance with the rules. After resolving objections and deficiencies, the final decision regarding affiliation will be taken by January 31, 2027, and the concerned schools will be informed accordingly. The Board Chairman urged private educational institutions to carefully study the rules, conditions, and document requirements available on the Board's official website before applying and to complete the application process within the prescribed timeframe. He clarified that conducting classes without affiliation or violating prescribed rules and conditions would not be tolerated. Keeping the academic interests of students in mind, the Board will accord top priority to compliance with affiliation-related regulations.

Dev Bhoomi Mirror Dt. 28-09-2026

739 रिक्त सीटों के लिए 28 सितंबर को होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग

देवभूमि मिरर/धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में डीएलएड (D.El.Ed.) कर शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अहम खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-28 के तहत प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में खाली बची 739 सीटों को भरने के लिए शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने घोषणा की है कि इन रिक्त सीटों के लिए तीसरे चरण की अहम काउंसलिंग 28 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे धर्मशाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची और श्रेणीवार आरक्षित खाली सीटों का पूरा ब्यौरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट 222.hpbose.org पर अपलोड कर दिया है। डॉ. शर्मा ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे वेबसाइट से दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वहां उपलब्ध 'बायोडाटा फॉर्म' (BIO DATA FORM) को भरकर अपने साथ लाएं। इसके अलावा, काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, हिमाचली मूल निवासी प्रमाण-पत्र और आरक्षित श्रेणी या उप-श्रेणी से जुड़े दस्तावेजों की मूल व सत्यापित (Attested) फोटोकॉपी साथ लानी होगी।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा के लिए चयन परीक्षा 15 नवंबर को

देवभूमि मिरर/धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा (EMRSST)-2027 का आयोजन 15 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा पात्र विद्यार्थी 12 अक्टूबर, 2026 तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि EMRSST-2027 के माध्यम से प्रदेश में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत हैं अथवा निर्धारित शर्तों के अनुसार कक्षा पांचवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या इसी शैक्षणिक सत्र में कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण कर चुके हैं। निर्धारित नियमों के तहत LWE/उग्रवाद/विद्रोह अथवा कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों, भूमि दाता परिवारों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों सहित कुछ अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी पात्रता प्रदान की गई है। डॉ. शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट 222.hpbose.org पर उपलब्ध Prospectus-cum-Instructions में दी गई पात्रता, पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी/उप-श्रेणी को छोड़कर अन्य विवरणों में सुधार का अवसर 13 से 15 अक्टूबर, 2026 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा से चार दिन पूर्व बोर्ड की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पूर्ण एवं ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए तथा अधूरे आवेदन मान्य नहीं होंगे। अ

वेदन से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए अभ्यर्थी बोर्ड के दूरभाष नंबर 01892-242192 पर संपर्क कर सकते हैं। डॉ. शर्मा ने पात्र विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें और आवेदन से पूर्व सभी पात्रता शर्तों एवं दिशा-निर्देशों की जांच अवश्य कर लें।